प्रेस नोट दिनांक 26.05.2025
थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त को आला कत्ल एक छुरी व खून से सने कपड़े सहित किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 24.05.2025 को वादी मुकदमा श्री मुशीर खां पुत्र नसीर खां निवासी ग्राम रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा जिला बरेली द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना भोजीपुरा पर मु0अ0सं0 468/2025 धारा 103/61(2) BNS बनाम अभियुक्तगण 1. एहसान खां पुत्र सिराजुद्दीन आदि निवासी ग्राम रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा जिला बरेली द्वारा बाबत षडयंत्र रचकर वादी के भाई बाबू खां पुत्र नसीर खां की छुरी से गोद-गोद कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा घटना की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दो टीमों का गठन कर तत्काल गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के वांछित अभियुक्त एहसान खां पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा जिला बरेली सम्बन्धित मु0अ0सं0 468/25 धारा 103/61(2) बीएनएस थाना भोजीपुरा जनपद बरेली को बिल्वा पुल के पास से आज दिनांक 26.5.25 को रात्रि समय 02.40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशांदेही पर जंगल ग्राम रम्पुरा माफी मेंथा के खेत से छुरी (आलाकत्ल) व घटना के समय खून में सने कपड़े बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ-

अभियुक्त एहसान खां उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मैं और बाबू खां पहले एक साथ लूट-मार करते थे। कई घटनाओं में हम साथ रहे और साथ जेल भी गये। वर्ष 2006 मे 01 साल 13 दिन जेल में रहा था। उसी दौरान बाबू खां बाहर था। बाबू खां और मेरी पुराने मुकदमों में एक साथ तारीख लगती थी। मैं जेल से आता था और बाबू खां अपनी तारीख पर और मेरी पत्नी अमरीना मुझसे मिलने बाबू खां के साथ ही कचहरी पर आते थे। ये दोनो टैम्पू से आते थे। इसी बीच मेरी पत्नी के बाबू खां से गलत सम्बन्ध हो गये। बाबू खां ने मेरे से गद्दारी की। जब मैं जेल से बाहर आया मुझे इसकी जानकारी हुई। मैं तभी से बाबू खां से नफरत करने लगा और उससे मिलना जुलना व बातचीत बन्द कर दी। मेरा घर बाबू खाँ के घर से काफी दूर है, इसीलिए हमारा आमना सामना भी नहीं होता था। कुछ दिन पहले मेरे साडू तस्लीम खां के लडके की शादी थी, जिसमे बाबू खां ने खाना बनाया था तो मैने वंहा खाना भी नहीं खाया था और मैं वापस अपने घऱ चला आया था। मैं बाबू खां की शक्ल नहीं देखना चाहता था। घटना से एक दिन पहले बाबू खां मेरे पडोसी इसराईल उर्फ छुटका पुत्र याद अली खां के मकान मे मजदूरी करने के लिए राज मिस्त्री ताहिर पुत्र लियाकत खां के साथ आया था। पहले दिन मजदूरी करता रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर घटना वाले दिन बाबू खां मेरे घर की टूटी हुई दीवार से निकालकर मेरे गेट के सामने तौहिद पुत्र तारीख निवासी रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा से मिट्टी डालने के बातें कर रहा था। मैं वही अपने घर में पिलखन के नीचे चारपाई पर लेटा था। उसे देखकर मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा कि ये मेरी पत्नी के चक्कर में आया है तथा फिर से मेरे साथ गद्दारी करेगा। बाबू खां के गद्दारी करने के पूरे इरादे थे। मैं पिलखन के नीचे से अन्दर कमरे में गया। अंदर कमरे मे मचान के उपर रखी छुरी को उठा लाया। जैसे ही मैं छुरी लेकर कमरे से बाहर निकला तभी बाबू खां गेट से वापस मुडकर जंहा मजदूरी कर रहा था, इसराईल के घर की तरफ जाने लगा अपने घऱ मे पिलखन के नीचे ही मैने बाबू खां पीठ मे छुरी मारी तो बाबू खां मेरी तरफ पलटा, फिर मैने कई वार उस पर छुरी से कर दिये बाबू खां गिर गया। फिर मैंने उसकी गर्दन पर छुरी मारी तो बाबू खां के चिल्लाने की आवाज सुनकर राज मिस्त्री ताहिर खां और मेरी छोटे वाली लडकी निशा खातुन व मेरे लडके फैजान की पत्नी शबा ने बाबू खां को बचाने के लिए शोर मचाया और मेरी तरफ को बढे। तब तक आस पडोस के गांव के काफी लोग आ गये। मैं बाबू खां को मरा हुआ समझ कर छुरी लेकर खेतों की तरफ भाग गया। और मैंने पहने हुए कपडे जिन पर बाबू खां का खून लगा हुआ था और छुरी को गांव के बाहर झाडियो मे छिपा दिया था । छुरी और कपड़े मैंने आपको बरामद करा दिये है।

गिरफ्तारअभियुक्त का नाम

1.एहसान खां पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 52 वर्ष

बरामदगी –

1.हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक छुरी (अभियुक्त की निशादेही से बरामद)
2. घटना के समय खून से सने कपड़े

आपराधिक इतिहास अभियुक्तएहसान खां पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा जिला बरेली

1. मु0अ0सं0 362/95 धारा 392/411 भादवि थाना भोजीपुराजनपदबरेली
2. मु0अ0सं0 363/95 धारा 394भादवि थाना भोजीपुराजनपदबरेली
3. मु0अ0सं0 627/98 धारा 396/412भादवि थाना सीवीगंज जनपदबरेली
4. मु0अ0सं0 222/99 धारा 392/411 भादवि थाना भोजीपुराजनपदबरेली
5. मु0अ0सं0 468/2025 धारा 103/61(2) BNSथाना भोजीपुराजनपदबरेली

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षकप्रवीन सोलंकी
2. व0उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह
3. का0 341 हिमान्शु कुमार

4.का0 3265 अंकित कुमार